



# दूनघाटी विशेष विकास क्षेत्र महायोजना 2031



## प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र सेक्टर भानियावाला

### संकेतिका

(1) आवासीय (R)	(8) परिवहन (T)
निर्मित क्षेत्र	वर्तमान मार्ग
आवासीय क्षेत्र	प्रस्तावित मार्ग विस्तार
मिश्रित	प्रस्तावित मार्ग
(2) व्यवसायिक (C)	रेलवे लाईन / क्षेत्र
व्यवसायिक	ट्रक अड्डा
(3) औद्योगिक (M)	हवाई अड्डा
औद्योगिक	अन्य
(4) सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक (PSP)	सेक्टर क्षेत्र सीमा
सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक	अपरिभाषित क्षेत्र
(5) मनोरंजन (P)	नदी / नाले
मनोरंजन	
(6) कृषि (A)	
कृषि	
(7) विशेष क्षेत्र (S)	
उद्यान / वृक्षारोपण	
चाय बागान	
वन	



थानो संरक्षित वन

थानो संरक्षित वन

उत्तराखण्ड शासन  
आवास अनुभाग-2  
अधिसूचना संख्या- 1814 / V -2-2016-33(आ0) / 2010  
देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 द्वारा अनुमोदित

ह0 / -  
आर0 मीनाक्षी सुन्दरम  
सचिव, आवास

सेक्टर सीमा लालतपड़-माजरी ग्रांट

### मूल सिद्धान्त

- महायोजना एक Broad Landuse Document है। पैमाना छोटा होने के कारण महायोजना में प्रमुख भू-उपयोगों के ही प्रस्ताव दिये जाते हैं। महायोजना के प्रमुख भू-उपयोगों की अग्रेतर detailing व जोनल स्तर के भू-उपयोग के प्रस्ताव जोनल प्लान में दिये जाते हैं।
- पुनर्निर्धारित भू-उपयोग के प्रस्ताव नीति पर आधारित हैं, व्यक्तिगत भू-स्वामित्व तथा सगर मानचित्र पर आधारित नहीं है।
- दूनघाटी महायोजना-2031 में वर्गीकृत भू-उपयोगों को यू0डी0पी0एफ0आई0 गाइडलाइन्स के अनुसार प्रमुख भू-उपयोग श्रेणियों के अन्तर्गत रखा गया है।
- संशोधित महायोजना जी0आई0एस0 आधारित मानचित्र पर यथासम्भव यथारूप तैयार किये गये हैं।
- महायोजना-2031 मानचित्र एवं जी0आई0एस0 आधारित आवासीय क्षेत्र पैग में मूल अन्तर होने के कारण विभिन्न भू-उपयोगों एवं परिस्तरों के आकार, डाइमेंशन एवं फीचर्स / मार्ग आदि के संरक्षण में अन्तर होना स्वभाविक है।
- बृहद आकार के विभिन्न परिस्तरों को जी0आई0एस0 आधारित मानचित्र में प्रदर्शित अनुसार दर्शाते हुये सीमा में संशोधन किया गया है। छोटे आकार के विद्यमान परिस्तर, जिनका सुस्पष्ट आर्किटेक्चर महायोजना स्तर पर सम्भव नहीं है, को मानचित्र में चिह्नित नहीं किया गया है। मौके पर इनकी वास्तविक स्थिति अनुसार परिस्तर सीमा मानी जायेगी।
- वन विभाग से प्राप्त आरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त व आक्षर मानचित्र के मापक लगभग एक समान होने के दृष्टिगत वन सीमा को यथासम्भव सही लगया गया है।
- किसी भी प्रमुख भू-उपयोग श्रेणी में मौके पर आरक्षित वन होने की स्थिति में सम्पत्ति स्वत्व को वन क्षेत्र के अन्तर्गत माना जायेगा। निजी भूमि से सनी वन क्षेत्र की सीमा अथवा vice versa की स्थिति होने पर ऐसे क्षेत्रों के एकल प्रकरणों में आवश्यकतानुसार वन विभाग से पुष्टि उपरान्त भू-उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रमुख मार्गों पर प्रस्तावित व्यवसायिक क्षेत्रों को उनके निर्धारित औसत गहराई, स्थान, मार्गों के नाम एवं प्रस्तावित मार्गाधिकार के विवरण सहित महायोजना प्रतिवेदन के परिशिष्ट में सूचीबद्ध किया गया है।
- महायोजना में प्रस्तावित मार्गों / एक्सप्रेस-वे आदि के एलाइन्मेंट को यथासम्भव यथारूप रखा गया है। परन्तु विद्यमान मार्गों को जी0आई0एस0 आधारित आक्षर मानचित्र में प्रदर्शित विद्यमान मार्ग एलाइन्मेंट के अनुसार रखा गया है।
- महायोजना प्रतिवेदन में वर्णित नदी-नालों, जिनके किनारे की भूमि में नदी की ओर 10-10 मीटर वृक्षारोपण हेतु छोड़ा जाना है, को महायोजना मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है। इस प्राक्धान को बायर्सॉज द्वारा सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- उपरोक्तानुसार किये गये संशोधन अन्तर्गत मानचित्र में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे ड्राफ्टिंग त्रुटि मानते हुये महायोजना में संशोधन सम्भवा जायेगा।

ह0 आयुक्त, गढ़वाल मण्डल अधिसू.	ह0 मुख्य सचिव, वित्त सदर	ह0 मुख्य सचिव एवं धाम निदेशक सदर
ह0 सचिव, आवास विभाग सदर	ह0 सचिव, विकास विभाग सदर	ह0 सचिव, आवास एवं विकास विभाग सदर
ह0 चेयरमैन, उत्तराखण्ड राज्य विद्युत परिषद सदर	ह0 सचिव, विकास विभाग सदर	ह0 चेयरमैन, उत्तराखण्ड केन्द्रीय विकास सदर
ह0 जिलाधिकारी, देहरादून सदर	ह0 जिलाधिकारी, पी0डी सदर	ह0 जिलाधिकारी, टिहरी सदर

दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण  
देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत